

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की 380वीं बैठक का कार्यवृत्त
स्थान - राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण सम्मेलन कक्ष
तिथि और समय - 14 फरवरी 2023 पूर्वाह्न 10.30 बजे

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया:

- प्रो. किशोर के. बासा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण।
- श्री हेमराज आर कामदार, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण।
- प्रो. एम. कैलाश राव, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण।
- श्री भास्कर वर्मा, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण।

कार्यसूची संख्या 01

379वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची संख्या 02

एनओसी आवेदनों पर विचार

ऑनलाइन मामले:

मामला संख्या 01

((1) श्री शिवप्रीत सिंह (2) श्री जतिंदर सिंह सुपुत्र श्री अवतार सिंह और (3) सुश्री मनदीप कौर सुपुत्री सरबजीत कौर पत्नी श्री अवतार सिंह, वीपीओ संघोल, तहसील खमानों, जिला-फतेहगढ़ साहिब, राज्य पंजाब, पिन कोड 140802} आवेदन पर विचार करने के बाद 384/424, 8/23/1/2, 24/2 आटि, वीपीओ संघोल, फतेहगढ़ साहिब, पंजाब पर 8.52 मीटर (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) की कुल ऊँचाई के साथ जीएफ+एफएफ के साथ भवन के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। इसका तल अनुसार क्षेत्रफल जीएफ=150.83 वर्गमीटर, एफएफ=98.00 वर्गमीटर होगा। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, पंजाब की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 02

(श्री वरिंदर सिंह, सुपुत्र एस. जसबीर सिंह, वीपीओ-संघोल, खमानो जिला- फतेहगढ़ साहिब-140802)

आवेदन पर विचार करने के बाद संपत्ति प्रतिषिद्ध क्षेत्र में स्थित होने के कारण मामले को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

— मामला क्रम
—

(सधु गोवर, 223, कर्वीस रोड, अमृतसर, फ्लैट नंबर 16, 8वीं मंजिल, उषा किरण बिलिंग, एमएल धनुकर मार्ग, पेडर रोड, कुंबला हिल, मुंबई)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक से ग्रांड+03 फ्लैट के साथ अधिकतम ऊंचाई 12.40 मीटर (सुमरी, पेरापेट, वाटर स्टरोज, टैक आदि सहित) तक सीमित करने के लिए और भूमि उपयोग के संबंध में कानूनी हलफनामा/कोई कानूनी विवाद नहीं होने का स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए इस मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

सामला संहिता ०४

(श्री सीरल नीणा, कार्यकारी अभियंता (आर-II), एनडीएमसी आर-II डिवीजन, एनडीएमसी, तिळक लेन, तिळक मार्ग, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में लोटी गार्डन, मध्य दिल्ली, दिल्ली में 40.00 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ कुल 0.50 मीटर ऊंचाई (सभी को मिलाकर) सार्वजनिक भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया, जिसमें रेज गार्डन के पास एक गड़बो (अस्थायी प्रकृति का) है। सकून प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

ਪੰਜਾਬ 05

四

पटेल भ्रवन, दानापीठ, अहमदाबाद)
आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद न होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

ପ୍ରକାଶକ

ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା ।

आवेदन पर विचार करने के बाद सामने को खारिज करने का निर्णय लिया गया क्योंकि आवेदक ने पूर्व अनुमति प्राप्त किए विना पहले ही प्रबन्धितान कार्य शुरू कर दिया है और 14.975 मीटर तक पहुंच गया है।

मामला संख्या 08

(श्री आर्गवभाई भिखुभाई पटेल, सिटी सर्वे नंबर 1491, ऊची शेरी, एकता प्राइमरी स्कूल के पास, वटवा, अहमदाबाद- 382445)

आवेदन पर विचार करने के बाद मामले को खारिज करने का निर्णय लिया गया क्योंकि आवेदक ने पहले ही पूर्व एनओसी बिना 15.00 मीटर की ऊचाई तक आरसीसी फ्रेम संरचना का निर्माण कर लिया है और एसए, एएसआई, वडोदरा सर्कल द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

मामला संख्या 09

(श्रीमती वसंती के और श्रीमती नंदिता के, प्लॉट 44 वसंतम नगर, किञ्चिंठा रोड, पश्चिम तांबरम, चेन्नई 600045)

आवेदन पर विचार करने के बाद मामले को खारिज करने का निर्णय लिया गया क्योंकि आवेदक ने प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना जी+1 मंजिल तक का भवन पहले ही बना लिया है।

मामला संख्या 10

(श्रीमती वीआर चामुंडेश्वरी, नंबर: 4 एस, राजबल नगर, पहली मेन रोड, मदंबक्कम, चेन्नई-600)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद न होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 11

(श्री रवींद्र कुमार गोस्वामी सुपुत्र स्वर्गीय श्री राधापद गोस्वामी, मकान नंबर 229, श्री गौर गोपाल मंदिर, वीआईपी रोड, आस्था के पास, सखी मंसिर दुसायत, वृदावन मथुरा, यूपी, पिन-281121)

आवेदन पर विचार करने के बाद संपत्ति प्रतिषिद्ध क्षेत्र में स्थित होने के कारण मामले को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 12

(डॉ. अनु पाठक, डॉ. विनीत पाठक, 238ए न्यू आगरा, उत्तर प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में एसवाई नंबर 1/208, प्रोफेसर कॉलोनी, दिल्ली गेट, आगरा, उत्तर प्रदेश में 13.02 मीटर की कुल ऊचाई (मंटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ मैं तलक्षेत्र के साथ; GF=FF=SF=144.80 वर्गमीटर, जी+2 मंजिल के भवन के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 13

(सूरत नगर निगम, वार्ड नंबर 7, सीएन नंबर 1751/ए+बी, 1752, होटी बंगला, रामपुरा, सूरत, गुजरात)

आवेदन पर विचार करने के बाद सी.एस. नं. 1751/ए+बी, 1752, वार्ड नंबर 7, शीट नंबर 35, अर्बन, सूरत, गुजरात पर 21.70 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैक आदि सहित) के साथ GF+4 मंजिलों+टैरेस क्षेत्र के साथ जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 405.78 वर्गमीटर, एफएफ = 450.33 वर्गमीटर, छत तल = 36.38 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ संस्थागत भवन के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

नए मामले:

मामला संख्या 01

(मैसर्स अश्विनी विंडलास एचयूएफ अपने कर्ता श्री अश्विनी विंडलास, एन-53, पंचशील पार्क, नई दिल्ली के माध्यम से)

आवेदन पर विचार करने के बाद, एन-53, पंचशील पार्क, नई दिल्ली में 18.00 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैक आदि सहित) के साथ मौजूदा बेसमेंट+जीएफ+2 मंजिलें और प्रस्तावित ; बेसमेंट का मौजूदा क्षेत्रफल=205.31 वर्गमीटर, बेसमेंट का प्रस्तावित क्षेत्रफल=04.81 वर्गमीटर, गहराई=2.80 मीटर, इस मामले में बेसमेंट, जीएफ, एफएफ, एसएफ सहित भवन के अतिरिक्त निर्माण और तीसरी मंजिल के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया ;

तल	मौजूदा क्षेत्र	प्रस्तावित क्षेत्र	कुल क्षेत्र
भू तल	220.18 वर्गमीटर	120.30 वर्गमीटर	340.48 वर्गमीटर
पहली मंजिल	223.44 वर्गमीटर	62.82 वर्गमीटर	286.26 वर्गमीटर
दूसरी मंजिल	33.60 वर्गमीटर	251.80 वर्गमीटर	285.40 वर्गमीटर
तीसरी मंजिल	---	264.94 वर्गमीटर	264.94 वर्गमीटर

एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 02

(उप-समाहर्ता, उप-समाहर्ता का कार्यालय, गुंडट रोड, थालास्सेरी पुलिस स्टेशन के पास, थालास्सेरी, पीओ कन्नूर-670101, केरल)

आवेदन पर विचार के बाद सर्वे नंबर W5B10TS166/1, वार्ड नंबर 47, कन्नूर थालास्सेरी में 17.15 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण सहित) के साथ जी+3+पंप रूम के साथ GF=1152.05, FF=S=464.40 वर्गमीटर , टैरेस फ्लोर=109.80 वर्गमीटर , GF (पंप रूम) =41.30 वर्गमीटर, तल क्षेत्र के साथ पंप रूम की ऊँचाई=5.22 मीटर सार्वजनिक परियोजना (स्टेडियम + पंप रूम) के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देंडे की

— ११२०२ का —

सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकरण, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है और यह राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण को सूचना के तहत भूमि उपयोग के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने और सक्षम प्राधिकारी को कोई कानूनी विवाद नहीं होने के अधीन है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 03

(आधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पेरुवनम, चेरप्पु पीओ त्रिशूर-680561, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद ब्लॉक परिवार स्वास्थ्य केंद्र चेरप्पु, त्रिशूर के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 03.60 मीटर (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) की कुल ऊँचाई के भूतल के साथ प्रस्तावित $WA = 60.50$ वर्गमीटर, प्रस्तावित फार्मेसी $WA = 48.64$ वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ, सार्वजनिक परियोजना के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकरण, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है और राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण को सूचना के तहत सक्षम प्राधिकारी को भूमि उपयोग के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने और कोई कानूनी विवाद नहीं होने के अधीन है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 04

(श्री हरीश कुमार एस अच्यर, VI/1823, इलायाचन परम्बु, पैलेस रोड, कोच्चि एर्नाकुलम -682002, केरल)

आवेदन के अवलोकन के बाद, इस मामले में एसवाई नं. 487/1-17 कोच्चि में 09.75 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जी+2 मंजिल के साथ, जीएफ=75 वर्गमीटर, एफएफ=77.90 वर्गमीटर, एसएफ=26.80 वर्गमीटर तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 05

(श्री एस. हरिहरन, 6/1714, पैलेस रोड, कोच्चि-682002, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में एसवाई नंबर 124/2 मट्टनचेरी, एर्नाकुलम, कोच्चि में 04.60 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के जीएफ = 45.66 वर्गमीटर फर्श क्षेत्र, भूतल के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 06

(समिता ढल, प्लॉट नं. 2132/4744-45, नागेश्वरतांगी भुवनेश्वर, जिला-खुर्दा, पिन-751002, ओडिशा)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि भूखंड नं. 699/6332, लेआउट प्लॉट नंबर 0, खाता नंबर 1331/1362, मौजा-गौतम नगर भुवनेश्वर, जिला-खुर्दा, ओडिशा में इस मामले में 11.70 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ; स्टिल्ट = एफएफ = एसएफ = 61.06 वर्गमीटर में स्टिल्ट + 2

मुख्य
कमी
संग्रहीत

मंजिलों के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की सिफारिश की गई है। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, ओडिशा की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 07

(श्री पी रुद्रमूर्ति, डी.नं. 4/50-1, मंगलियममन कोइल स्ट्रीट, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई-600016)

आवेदन पर विचार करने के बाद डोर नं. 4/50-1, पट्टा संख्या: 6, टीएस नंबर 42/23, ब्लॉक नंबर 4, पुराना क्र.सं. 1946/1 पार्ट, जीएलआरएस नंबर 290, वार्ड नंबर: 3, सेंट थॉमस माउंट विलेज, पल्लवरम तालुक, चैंगलपेट जिला पर 08.33 मीटर की ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैक इत्यादि सहित) के साथ जीए+1 मंजिल के साथ जीएफ= 58.53 वर्गमीटर, एफएफ=12.36 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 08

(श्री रामलाल नेवारे सुपुत्र स्वर्गीय श्री रंगस्य नेवारे, बालाघाट, मध्य प्रदेश, वार्ड संख्या-04, मेन रोड तहसील लांजी जिला बालाघाट (एमपी)-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद खसरा नंबर 187/284जीए पटवारी हलका नंबर 19/60 ग्राम-लांजी, हल्का और तहसील-लांजी, जिला-बालाघाट में 04.85 मीटर (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैक आदि सहित) की ऊँचाई के जीएफ = 47.09 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 09

(श्रीमती अनीता वकाले पत्नी श्री राम वकाले, वार्ड नंबर-09, तहसील-लांजी जिला बालाघाट (एमपी)-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण स्थापित करने वाले संपत्ति के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेज दिया जाए।

मामला संख्या 10

(श्री राजाबाबू नागमारेसुपुत्र श्री हरीशचंद नागमारे, वार्ड संख्या-07 तहसील-लांजी जिला बालाघाट (म.प्र.)-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण स्थापित करने वाले संपत्ति के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेज दिया जाए।

मुरक्का फॉर्म
—
—

मामला संख्या 11

(श्री मुकेश चोरवाडे सुपुत्र स्व. श्री सावजी चोरवाडे, वार्ड नं.-05, तहसील-लांजी जिला बालाघाट (म.प्र.)-481222)

आवेदन पर के बाद, खसरा संख्या 141/1/2, पटवारी हल्का नंबर 19/60 गाँव-लांजी, हल्का और तहसील-लांजी, जिला-बालाघाट पर 4.85 मीटर की ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के जीएफ के साथ GF=47.90 वर्गमीटर तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 12

(श्री जीवनलाल नेवारे सुपुत्र स्व श्री सावजी नेवारे, वार्ड नं.-04, मेन रोड तहसील-लांजी जिला बालाघाट (म.प्र.)-481222)

आवेदन पर विचार बाद खसरा संख्या 187/289 पटवारी हल्का नंबर 19/60 गाँव- लांजी, हल्का और तहसील-लांजी, जिला- बालाघाट में 4.85 मीटर की ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के जीएफ के साथ GF=47.90 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 13

(श्री फिरोज खान सुपुत्र श्री सिराज खान, वार्ड नं.-05, तहसील-लांजी जिला- बालाघाट (म.प्र.)-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद खसरा संख्या 187/75/क पटवारी हल्का नंबर 19/60 गाँव-लांजी, हल्का और तहसील-लांजी, जिला- बालाघाट में 4.85 मीटर की ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के जीएफ के साथ जीएफ = 47.90 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 14

(श्री हेमंत भौंसले सुपुत्र स्वर्गीय श्री दत्ताजी राव भौंसले, 1, दयानंद मार्ग जिला-धार (मध्य प्रदेश)-454001)

मा. स्ट्रोक
C

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को वर्तमान वास्तुकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी भवन योजना प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध करते हुए मामला वापस भेज दिया जाए।

मामला संख्या 15

(श्री गणेश सुपुत्र स्व श्री भाऊ जी चोरवाडे, बरेज पट्टी वार्ड नं.-05, मेन रोड तहसील-लांजी जिला-बालाघाट (म.प्र.)-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद खसरा संख्या 141/1/1 पटवारी हलका नंबर 19/60 गाँव- लांजी, हल्का और तहसील-लांजी, जिला- बालाघाट में 8.30 मीटर की ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ GF=FF=44.40 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 16

(श्री कमलेश कोश्यारे सुपुत्र श्री राधेश्याम कोशायरे, वार्ड नं.-08, ढीमेर मोहल्ला तहसील-लांजी जिला बालाघाट (म.प्र.)-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को संपत्ति के स्वामित्व स्थापित करने वाले प्रमाण के साथ संपत्ति के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेज दिया जाए।

मामला संख्या 17

(श्रीमती शकुनता नेवारे/स्वर्गीय श्री शंकरलाल नेवारे, मेन रोड वार्ड नं.-04, तहसील-लांजी जिला बालाघाट (म.प्र.)-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद खसरा संख्या 187/291/1, पटवारी हलका नंबर 19/60 गाँव-लांजी, हल्का और तहसील-लांजी, जिला- बालाघाट पर 4.85 मीटर की ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के जीएफ के साथ जीएफ = 47.90 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 18

→ ३१२८ कम्प

(श्रीमती पुष्पकला चोरवाडे धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चोरवाडे, वार्ड नंबर-05, बरेन पट्टी तहसील-लांजी जिला बालाघाट (एमपी)-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद खसरा संख्या 141/1/1, पटवारी हलका नंबर 19/60 गांव- लांजी, हल्का और तहसील-लांजी, जिला- बालाघाट में 8.30 मीटर की ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ+1 के साथ जीएफ = एफएफ = 44.40 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 19

(श्रीमती राधिका धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सुखराम चोरवाडे, बरेन पट्टी वार्ड नंबर-05, मेन रोड तहसील-लांजी जिला बालाघाट (एमपी) - 48222)

आवेदन पर विचार करने के बाद खसरा संख्या 141/1/1, पटवारी हलका नंबर 19/60 गांव-लांजी, हल्का और तहसील-लांजी, जिला- बालाघाट में 8.30 मीटर की ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 के साथ जीएफ = एफएफ = 44.40 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 20

(श्री लखन कोरी सुपुत्र श्री दीनदयाल कोरी, वार्ड संख्या 07 पोस्ट राहतगढ़ जिला सागर, मध्य प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को वर्तमान वास्तुकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी भवन योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामला वापस भेज दिया जाए।

मामला संख्या 21

(श्री मोहम्मद आरिफ बेहना सुपुत्र श्री बाबू बेहना, वार्ड नं. 07 पोस्ट राहतगढ़ जिला-सागर, मध्य प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को वर्तमान वास्तुकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी भवन योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामला वापस भेज दिया जाए।

मामला संख्या 22

(श्री धन्नू लाल सुपुत्र श्री रतन लाल नागमारे, वार्ड नं. 7, मेन रोड तहसील-लांजी जिला बालाघाट (एमपी)-481222)

मामला क्रम
८८

आवेदन पर विचार करने के बाद खसरा संख्या 187/141, पटवारी हलका नंबर 19/60 गाँव-लांजी, हल्का और तहसील-लांजी, जिला-बालाघाट में 8.3 मीटर की ऊँचाई (मुमठी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक इत्यादि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 44.40 वर्गमीटर तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 23

(श्री माणिक लाल जैतवार सुपुत्र श्री जगतराय जैतवार, वार्ड नं.-09, मनेरी फाटक मेन रोड तहसील-लांजी जिला बालाघाट (म.प्र.)-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद खसरा संख्या 187/267ख, पटवारी हलका नंबर 19/60 गाँव-लांजी, हल्का और तहसील-लांजी, जिला- बालाघाट में 8.60 मीटर की ऊँचाई (मुमठी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक इत्यादि सहित) के साथ जीएफ + 1 के साथ GF=FF= 58.10 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 24

(श्री मोहम्मद अलीम शेख सुपुत्र उसूफ शेख, वार्ड नं.-11, मेन रोड तहसील-लांजी जिला-बालाघाट (म.प्र.)-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद खसरा नंबर 187/275, पटवारी हलका नंबर 19/60 गाँव-लांजी, हल्का और तहसील-लांजी, जिला-बालाघाट में 8.30 मीटर की ऊँचाई (मुमठी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 के साथ जीएफ = एफएफ = 65.10 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 25

(श्री सखन लाल सुपुत्र श्री कोटू गदेलाल, मेन रोड तहसील-लांजी जिला-बालाघाट (म.प्र.)-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद खसरा संख्या 187/221ख, पटवारी हलका नंबर 19/60 गाँव-लांजी, हल्का और तहसील-लांजी, जिला-बालाघाट में 7.90 मीटर की ऊँचाई (मुमठी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक इत्यादि सहित) के साथ जीएफ + 1 के साथ जीएफ = 46.95 वर्गमीटर, एफएफ = 46.90 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। नओसी को सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट

मा. २०२४

में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 26

(श्री सोनू सुपुत्र श्री बुद्धराम खोबरागड़े, वार्ड नंबर-06, गणेश चौक मेन रोड तहसील-लांजी जिला-बालाघाट (एमपी)-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण स्थापित करने वाले संपत्ति के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेज दिया जाए।

मामला संख्या 27

(श्रीमती रामवती धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कमल सोनवणे, धीमर मोहल्ला वार्ड नं.-08, मेन रोड तहसील-लांजी जिला-बालाघाट (म.प्र.)-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद खसरा नंबर 187/147/ख, पटवारी हलका नंबर 19/60 ग्राम-लांजी, हल्का एवं तहसील-लांजी, जिला-बालाघाट में 8.30 मीटर की ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 के साथ जीएफ = एफएफ = 44.40 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 28

(श्रीमती कस्तूरा बाई चोरवाडे धर्मपत्नी स्व श्री साओजी चोरवाडे, वार्ड नं.-05, मेन रोड तहसील-लांजी जिला-बालाघाट (एमपी)-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद, खसरा संख्या 141/1/12, पटवारी हलका नंबर 19/60 गाँव- लांजी, हल्का और तहसील-लांजी, जिला-बालाघाट पर 4.85 मीटर की ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के जीएफ के साथ जीएफ = 47.09 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 29

(श्री चंद्रकांत किरणपुरे सुपुत्र श्री सेवकराम किरणपुरे, वार्ड नं.-08, तहसील-लांजी जिला-बालाघाट (म.प्र.)-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्लॉट नंबर-19/60 खसरा नंबर 187/181/1, गांव- लांजी, हलका और तहसील-लांजी, जिला- बालाधाट में 8.30 मीटर की ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के जीएफ+1 फ्लोर के साथ जीएफ = एफएफ = 76.645 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के मामले में एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 30

(**श्रीमती कुमुम अग्रवाल धर्मपली स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र अग्रवाल, इंदिरा वार्ड नं.-02, बछरी मोहल्ला जिला मंडला (मध्य प्रदेश)**)

आवेदन पर विचार करने के बाद इन्दिरा वार्ड क्रमांक-02 बछरी मोहल्ला जिला-मंडला (एमपी) में 04.166 मीटर ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित), जल भंडारण, पैरापेट, पानी भंडारण, टैंक आदि सहित) के तलक्षेत्र के साथ भवन निर्माण हेतु इस मामले में अनापृत प्रमाण पत्र प्रदान करने की संरक्षित करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 31

(**श्री गोकुल खानोरकर सुपुत्र श्री श्रोजी खानोरकर, वार्ड नंबर-04, तहसील-लांजी जिला बालाधाट (एमपी)-481222**)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्लॉट नंबर-19/60 खसरा संख्या 187/300, गाम-लांजी, हलका और तहसील-लांजी, जिला-बालाधाट पर 06.95 मीटर की ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, पानी भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ+1 के साथ GF=FF=79.30 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 32

(**श्री धर्लेन्द्र किरणपुरे सुपुत्र श्री सेवकराम किरणपुरे, वार्ड नं.-08, तहसील-लांजी जिला बालाधाट (म.प्र.)-481222**)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्लॉट नंबर-19/60 खसरा नंबर 187/180/1, गाम-लांजी, हलका और तहसील-लांजी, जिला-बालाधाट में 08.30 मीटर की ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ GF=FF=76.645 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 30
मामला संख्या 31

मामला संख्या 33

(श्री देवानंद कुर्वे सुपुत्र श्री सालिकराम कुर्वे, वार्ड नंबर-08, मेन रोड तहसील-लांजी जिला बालाघाट (एमपी)-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद पटवारी हलका नंबर 19/60 495/12/1, ग्राम-लांजी, हल्का और तहसील-लांजी, जिला-बालाघाट में 08.310 मीटर की ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ GF=FF=49.90 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 34

(श्री जहांगीर खान सुपुत्र श्री जब्बार खान, वार्ड नं.-04, ग्राम-लांजी, हलका एवं तहसील-लांजी, जिला-बालाघाट (मप्र)-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को अपने नाम पर संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण स्थापित करने वाले संपत्ति के दस्तावेज जमा करने के लिए कहते हुए मामला वापस भेज दिया जाए।

मामला संख्या 35

(गिरीश कुमार सुपुत्र श्री धनीराम सोनवणे, वार्ड नं.-10, मेन रोड, तहसील-लांजी जिला बालाघाट (म.प्र.)-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को अपने नाम पर संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण स्थापित करने वाले संपत्ति के दस्तावेज जमा करने के लिए कहते हुए मामला वापस भेज दिया जाए।

मामला संख्या 36

(श्री डालचंद प्रजापति सुपुत्र श्री नारायण प्रजापति, वार्ड संख्या 07 पोस्ट राहतगढ़ जिला सागर, मध्य प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को वर्तमान वास्तुकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी भवन योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामला वापस भेज दिया जाए।

मामला संख्या 37

(श्री राजहंस रामटेके सुपुत्र श्री रूपचंद रामटेके, वार्ड नं. 07, तहसील-लांजी जिला बालाघाट (म.प्र.)-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण स्थापित करने वाले संपत्ति के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेज दिया जाए।

मामला संख्या 37
मामला संख्या 37

(श्री हरणोविंद प्रजापति सप्तम श्री नारायण प्रजापति, वाई संख्या 07 पोस्ट राहतगढ जिला, सागर, मध्य प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को वर्तमान वास्तुकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी अवन योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं मामला वापस भेज दिया जाए।

मामला संख्या 39

(श्री प्रेमलाल कोरी सपन श्री लक्ष्मण कोरी, वार्ड संख्या 07 पोस्ट गाहतगढ जिला सागर, मध्य प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद मामले को खारिज करने का निर्णय लिया गया क्योंकि एसए, एसआई जबलपुर सर्कल दवारा कारण बताओ नोटिस आरो किया गया है।

कामला संख्या 40

(श्री इश्वर सप्तमी कार्यालय मिशनर्स नेपाल नं. 07 पोस्ट ग्रन्ट जिला संग्रह संस्था प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को वर्तमान वास्तुकार द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित और महर लगी अवृत्त योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हए सामन्ता वापस भेज दिया जाए।

कालिका संग्रह ४१

(श्री ज्ञाना स्मृद यज्ञापति कल्पव श्री नारदयज्ञा प्रसापनि वर्णनं संख्या ०७ शेषम् गवत्तर्वद् जिला अग्रग्रामपटेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को वर्तमान वास्तुकार द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित और महर लगी अवन योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हए मामला वापस भेज दिया जाए।

સાહિત્ય અંગ્રેજી 42

(मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मंडला, इनपी)

आवेदन पर विचार करने के बाद, मुख्य नगर पालिका, अधिकारी नगर, पालिका परिषद मंडला, एमपी में 4.84 मीटर की ऊँचाई के साथ सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए मूर्ति के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ और सक्षम प्राधिकारी को भूमि उपयोग के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने और कोई कानूनी विवाद नहीं होने के अधीन राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण को सूचना के तहत प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। अबवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भूकल्प उपलियोगों का प्रावृत्त करना चाहिए।

मामला संख्या 43

(श्री अयूब सुलेमान पठान स्थान/पोस्ट - घोड़ेश्वर, ताल-मोहोल, जिला - सोलापुर - 413253, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को जी+1 के लिए 7.50 मीटर तक की ऊँचाई की अधिकतम सीमा (पैरापेट, ममी और पानी भंडारण टैंक, लिफ्ट रूम, आदि सहित) सीमित करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेज दिया जाए।

मामला संख्या 44

(श्री आशीष शांतिभूषण नाइक 364/2, गोडाकुद्दी, ऑपजंगली महाराज रोड, भंबुर्दा, शिवाजी नगर, जिला - पुणे-411004, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि अधिकतम ऊँचाई (पैरापेट, ममी और पानी भंडारण टैंक, लिफ्ट रूम, आदि सहित) की सीमा 18 मीटर तक तक सीमित करने के लिए आवेदक को कहते हुए मामले को वापस भेज दिया जाए।

मामला संख्या 45

(श्री विनोद जानेश्वर पवार, मचनूर, पोस्ट-ब्रह्मपुरी, ताल-मंगलवेधा, जिला-सोलापुर-413305, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद एटी पोस्ट मचनूर, ताल-मंगलवेधा, जिला-सोलापुर में 6.25 मीटर (पैरापेट, मुम्टी और पानी भंडारण टैंक, लिफ्ट रूम, आदि सहित) की ऊँचाई के भूतल GF =59.38 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 46

(श्री रोहित श्रीवास्तव, 1209, सेक्टर-बी-1, वसंत कुंज, दक्षिण पश्चिम दिल्ली-110070)

आवेदन पर विचार करने के बाद मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया क्योंकि सीए नियम, 2011 के नियम 8(1) के साथ पठित नियम 6(VI) के अनुसार प्राधिकरण को सूचित करते हुए मरम्मत और नवीनीकरण के आवेदनों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी और मंजूरी दी जाएगी।

मामला संख्या 47

(कुलसचिव, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, श्वसन चिकित्सा विभाग, केजीएमयू, लखनऊ-226003, उ.प्र.)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि सीए नियम, 2011 के नियम 10 का पालन करते हुए फॉर्म-II। जमा करने के लिए आवेदक को प्राधिकरण और सक्षम प्राधिकारी, लखनऊ के सामने एक प्रस्तुति देने के लिए कहते हुए मामला वापिस भेज दिया जाए।

—३॥२५२२ वनी

मामला संख्या 48

(श्रीमती मिली ठुकराल, 23, प्रेम नगर, सप्त्रू मार्ग, लखनऊ)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को भूमि उपयोग एवं कोई कानूनी विवाद न होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामला वापस भेज दिया जाए।

मामला संख्या 49

(श्री सिद्धाराम सुपुत्र शिवगोड़ कप्पनवर, बोलेगंवी गांव, इंडी तालुक, विजयपुर जिला -586112, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद सीटीएस नंबर 3एल/2/ए, वार्ड नंबर 3, पाटिल-हौंडा शोरूम के बगल में, बीएलडीई रोड, विजयपुर में 7.45 मीटर (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) की कुल ऊँचाई के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ GF=FF=70.21 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ इस मामले में भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 50

(श्रीमती गिरिजाव्वा धर्मपत्नी भरमप्पा निंगम्मनवर, कुरुबार ओनी, हंगल तालुक, हावेरी जिला-581148, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में पी. नं. 220/ए, नरेगल, हावेरी पर 3.96 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ भूतल के साथ GF=54.79 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 51

(श्रीमती दक्षिणायिनी जी, धर्मपत्नी बलदेव सिंह, गनिगरा स्ट्रीट, श्रीरंगपट्टना, मांड्या जिला-571438, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में काठा संख्या एस-3526/113/114/27, चंदगालु रोड, श्रीरंगापाट्टन में 7.80 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ=65.16 वर्गमीटर, एफएफ=69.18 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 52

(श्रीमती पुत्तलक्ष्ममा, धर्मपत्नी यदुरजा शिखरनहल्ली, कड़ाबहल्ली पोस्ट, बेलूर, होबली, नागमंगला, मांड्या जिला-571448, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में काठा संख्या S-5172/352/353/1/353/2/128, कमल्या लेआउट, चंदगालु रोड, श्रीरंगपाटन में 7.50 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ=62.30 वर्गमीटर, एफएफ=70.00 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 53

(श्री एल. गंगादरा, सुपुत्र स्व. लिंगन्ना, कुप्पन्ना गारदी स्ट्रीट, श्रीरंगपटना, मांड्या जिला -571438, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में कथा संख्या एस-5125/352/353/1/353/2/79, कमल्या लेआउट, चंदगालु रोड, श्रीरंगपाटन में फ्लौर एरिया के साथ 9.90 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैक आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल जीएफ=एफएफ=60.25 वर्गमीटर, एसएफ=41.09 वर्गमीटर होगा। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 54

(श्री सोहराब इनामदार, पुत्र मोहम्मद हनीप इनामदार, बीएलडीई रोड, इनामदार कॉलोनी, विजयपुर जिला, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में यह निर्णय लिया गया कि Sy.No.15 / H / 1, महलबगयत, विजयपुर में फ्लौर एरिया के साथ बेसमेंट+जीएफ+1 मंजिल की कुल ऊँचाई 7.40 मीटर (जमीनी स्तर से ऊपर)+1.64 मीटर (जमीनी स्तर से नीचे) सहित भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश की जाए। (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैक आदि सहित)। तल अनुसार क्षेत्रफल बेसमेंट=118.65 वर्गमीटर, जीएफ=एफएफ=118.65 वर्गमीटर होगा। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 55

(श्री कुमारा टीएस, पुत्र लेफ्टिनेंट, सन्नैह, थिरुमलपुरा, सनाबा पोस्ट, चिनकुरुलीहोबली, पांडवपुरा, मांड्या जिला-571455, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में कथा संख्या S-5201/352/353/1/353/2/158, कमल्या लेआउट, चंदगालु रोड, श्रीरंगपाटन में फ्लौर एरिया के साथ 9.90 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैक आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल जीएफ=एफएफ=60.25 वर्गमीटर, एसएफ=38.53 वर्गमीटर होगा। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

—मा २०२१ का०

मामला सं. 56

(श्रीमती महामहिम लक्ष्मी, पत्नी जनेश कुमार बीसी, #131, राम मंदिर के पीछे, बलेनहल्ली पोस्ट, श्रीरंगपट्टना, मांड्या जिला-571807, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में कथा संख्या S-5189/352/353/1/353/2/146, कमल्या लेआउट, चंदगालु रोड, श्रीरंगपट्टन में फ्लौर एरिया के साथ 9.75 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) जीएफ + 2 मंजिलों के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल जीएफ=एफएफ=64.50 वर्गमीटर, एसएफ=33.00 वर्गमीटर होगा। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 57

(श्रीमती सावित्री पत्नी वीरेश इंडी, # उकाली, बसवन बागेवाडी, विजयपुर जिला-586102, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में सीटीएस संख्या-1 1293, प्लॉट नंबर 114, विजयपुर में फ्लौर एरिया के साथ 8.47 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल GF=FF=65.27 वर्गमीटर होगा। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 58

(श्री यास्मीन मौलासब मुल्ला, निवासी जेएम रोड, महबूब नगर, विजयपुर-586101, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्लॉट नंबर 01, Sy.No.247K, महलबगयत, विजापुर में फ्लौर एरिया के साथ 9.07 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल GF=FF=113.4 वर्गमीटर होगा। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 59

(श्री संतोष कुमार, पुत्र रामचंद्र शहापुर, सी/ओ तिप्पन्नाचंदप्पा, डोडामनी, एडवोकेट, प्लॉट नंबर 78 और 79, कनकदासबदावने, महलबगयत, विजयपुर जिला -586101, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में SY संख्या 304/1+2B, प्लॉट नंबर 131, PIDNo.86081, कनकदास बडावणे, महलबगयत, विजयपुर में फ्लौर एरिया के साथ 7.45 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण,

मामला सं. 59
प्राप्ति का संकेत

टैक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल $GF=FF=35.00$ वर्गमीटर होगा। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 60

(श्री अमितकुमार, पुत्र कुषानाथ ढागे, 20, वार्ड नं.9, भिनाजगी रोड, विजयपुर जिला -586101, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में सीटीएस नं.304 /2/सी, वार्ड नंबर 3, पाटिल-हॉडा शोरूम के बगल में, बीएलडीई रोड, विजयपुर के फ्लौर एरिया के साथ 7.45 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल $GF=FF=68.98$ वर्गमीटर होगा। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 61

(श्री के. शंकर, पुत्र स्वर्गीय केंचप्पा, गणपति मंदिर के पास, रंगनाथन-गारा, श्रीरंगपट्टना, मांड्या जिला-571438, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में यह निर्णय लिया गया कि कथा संख्या एस-3441/ए/5560/53/ए, रंगनाथ नगर, श्रीरंगपट्टन में फ्लौर एरिया के साथ 9.90 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैक आदि सहित) के जीएफ+2 मंजिलों के साथ भवन के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की सिफारिश की जाए। तल अनुसार क्षेत्रफल जीएफ=एफएफ=एसएफ=11.05 वर्गमीटर होगा। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 62

(श्री संगोंदप्पा इरप्पा सज्जन और श्रीमती शारदा पत्नी संगोंदप्पा सज्जन, निवासी ब्लॉक ई, साउथ वेस्टर्न रेलवे कॉलोनी, रेलवे स्टेशन, विजयपुर जिला-586101, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में SY संख्या247B, P.No.67, महलबगयत, विजयपुर में फ्लौर एरिया के साथ 7.40 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल $GF=FF=87.50$ वर्गमीटर होगा। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मा॒ २ क॒ २ व॒ व॒

मामला सं. 63

(श्री इरेच्या शिवयोगद्या हिरेमठ, शिवलिंग नगर, उलावी चन्नबासवेश्वर बडावने, हावेरी जिला - 581110 , कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद, मामले को खारिज करने का निर्णय लिया गया क्योंकि आवेदक ने पहले ही प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना भवन का निर्माण किया है और एसए, धारवाड सर्किल द्वारा स्टॉप नोटिस जारी किया गया है।

मामला सं. 64

(श्री वीरप्पा रुद्रप्पा उज्जननवार, नरेगल, हंगल तालुक, हावेरी जिला-581148, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में पी.नंबर 276/ ए, नरेगल, हंगल तालुक, हावेरी जिला में फ्लौर एरिया के साथ 4.1 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के भूतल के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल GF=32.00 वर्गमीटर होगा।। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं.65

(श्री सरस्वती शिरसप्पनवार, श्री मेघराज शिरसप्पनवार और श्री संजय शिरसप्पनवार, सिद्धदेवपुर, पुरद ओनी, हावेरी जिला-581110, कर्नाटक)

आवेदन के अवलोकन के बाद, इस मामले में CTS No.2883, ई-स्वात्तु-17-1-502-19, हावेरी के फ्लौर एरिया के साथ 7.40 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ GF+1 मंजिल वाले भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल GF=FF=43.07 वर्गमीटर होगा। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 66

(प्रशासक/मुख्य अधिकारी, अंबरनाथ नगर परिषद अंबरनाथ नगर परिषद, तिलक पथ, स्टेशन रोड, अंबरनाथ (पश्चिम) - 421505, जिला-ठाणे, महाराष्ट्र)

आवेदन के अवलोकन और पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के बाद, इस मामले में Reservation संख्या 169, 171, 172, शिव मंदिर परिसर के पास, अंबरनाथ, ठाणे में निम्नलिखित कार्यों के साथ सार्वजनिक उपयोगिता के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया:

क्र.सं.	कार्य का विवरण	मंजिलों की संख्या	तल क्षेत्र (मंजिल -वार)	ऊँचाई (छोड़कर)	ऊँचाई (शामिल)	तलघर
नहीं।						

— मुस्करा दीपा —

1.	प्रवेश द्वार	जमीनी स्तर 20.47M x 4.24M गेट	86.79 वर्गमीटर	7.50 मी	13.80 मी	नींव की 1.50 मीटर गहराई
2.	प्रवेश मंडल और नंदी प्रतिमा	जमीनी स्तर 9.96M व्यास	77.95 वर्गमीटर	1.70 मी	4.70 मी	नींव की 1.50 मीटर गहराई
3.	पार्किंग प्लाजा	ग्राउंड ओपन प्लेस	2355.48 वर्गमीटर	शून्य	शून्य	0.3 m
4.	प्रदर्शनी केंद्र <ul style="list-style-type: none">• मुख्य भवन• टिकट काउंटर• फूलों की दुकान	भू तल	1265.48 वर्गमीटर 55.65 वर्गमीटर 71.10 वर्गमीटर	4.60 मी 4.60 मी 3.30 मी	7.50 मी 6.450एम 4.35एम	शून्य
5.	अखाड़ा <ul style="list-style-type: none">• स्तंभ• आसन+शिव प्रतिमा• अखाड़ा	जमीनी स्तर 1.20M x 1.20M 8एम x 8एम 10.68M x 9.60M 18.40M x 43.63M	1.44 वर्गमीटर 64 वर्गमीटर 905.32 वर्गमीटर	4.00 मी 7.70 मी 2.70 मी	लागू नहीं	1.50 मीटर
6.	आंतरिक सङ्क		A-692.10 वर्गमीटर बी-660.60 वर्गमीटर	लागू नहीं	0.30 मी	
7.	खेल का मैदान और शौचालय	भू तल	खेल का मैदान 10297.28 वर्गमीटर शौचालय - 42.28 वर्गमीटर	03.90 मीटर	05.73 मीटर	1.50 मी
8.	चेक डैम		108.00	06.00 मी	06.00 मी	

एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए। प्राधिकरण ने

आवेदक को "भक्त निवास" भवन के निर्माण के लिए इसकी ऊंचाई 7.50 मीटर (सभी सहित) तक सीमित करके एक संशोधित योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा।

सीए नियम, 2011 के नियम 8 (i) के साथ पठित नियम 6 (VII) के संदर्भ में विचार और निपटान के लिए पैदल यात्री पुल की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए एक अलग आवेदन सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है।

केस नंबर 67

(श्री जॉन प्रसन्ना कुमार, नंबर: 5, सेल्वाविनयगर कोविल स्ट्रीट, श्रीनिवास नगर, न्यू पेरुंगलथुर, पेरुंगलथुर, तांबरम तालुक, चेंगलपेट ज़िला चेन्नई- 600063)

आवेदन के अवलोकन के बाद, इस मामले में सब-डिवीजन S. No. 146/1A के अनुसार और पट्टा नया क्रमांक: 146/19A, पट्टा संख्या: 12793, पेरुंगलथुर गांव, तांबरम शहर नगर निगम, तांबरम तालुक, चेंगलपेट ज़िला के अनुसार डोर नंबर: 5 प्लॉट नंबर: 7 पार्ट, (नॉर्थ साइड), "सेल्वा विनायगर कोइल स्ट्रीट", पुराना S.No: 146,14.94 में फ्लोर एरिया के साथ 14.94 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टंक आदि) के साथ हेड रूम, लिफ्ट मशीन रूम और पानी की टंकी के साथ जी +2 मंजिलों के साथ भवन के अतिरिक्त निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया।, तल अनुसार क्षेत्रफल GF का प्लिंथ एरिया = FF (मौजूदा) = 175.84 Sqmt, GF का प्लिंथ एरिया = FF (अतिरिक्त) = 76.14 Sqmt, SF का प्लिंथ एरिया (अतिरिक्त) = 85.63 Sqmt, हेड रूम और लिफ्ट एरिया = 17.29 Sqmt, कंपाउंड वॉल = 1.52 mtrs. होगा। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

ऑनलाइन मामलों पर पुनर्विचार:

केस नंबर 01

(मधु खोसला, MCNo. 3702, MCB-Z-1-07297, पंडितन वाला मोहल्ला, किला रोड, पट्टी झुट्टी, बठिंडा, पंजाब)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में एमसीबी जेड 1 07927 में मोहल्ला पंडाता वाला, फोर्ट रोड, पट्टी झुट्टी, बठिंडा, पंजाब के फ्लोर एरिया के साथ 7.32 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टंक आदि सहित) के साथ जीएफ + एफएफ के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल जीएफ = 84.30 वर्गमीटर, एफएफ = 18.64 वर्गमीटर होगा। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, पंजाब की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 02

(प्रीतपाल सिंह कुक्कल और गुरमीत कौर और मोहिंदर पाल सिंह और बलवंत सिंह, एमसीबी-जेड-1-09832, किक्कर बाजार, मस्तिजद बठिंडा के सामने, पंजाब)

आवेदन के अवलोकन के बाद, एमसीबी-ज़ेड-1 में 09832, किक्कर बाजार, बी, किक्कर बाजार, बठिंडा, बठिंडा, पंजाब में फ्लोर एरिया के साथ ; 07.47 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + एफएफ के साथ भवन के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल जीएफ = 64। 70 वर्गमीटर, एफएफ = 30.93 वर्गमीटर होगा। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, पंजाब की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं.03

(विनोद कुमार, राजेश कुमार, नीलम रानी, दर्पण सिंगला, हिमांशु सिंगला, तेजल सिंगला, गली नंबर 3बी पावर हाउस रोड, पंजाब)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में 4441, बठिंडा, पंजाब में फ्लोर एरिया के साथ मुमटी+जीएफ+1 मंजिल की कुल ऊँचाई 07.50 मीटर (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ भवन निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल जीएफ = एफएफ = 150.56 वर्गमीटर होगा।। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, पंजाब की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं.04

(निर्मला पत्नी संतोष सिंह, गली मंदिर जय राम दासवाली, गली सिंह सभा गुरुद्वारा के पास, Mcb/Z-1/09735 का हिस्सा, #4274-4274-ए, गली मंदिर जय राम दास वाली, गली सिंह सभा गुरु द्वार के पास, एमसीबी/ज़ेड-1/09735 का हिस्सा, #4274-ए का पुराना नंबर हिस्सा। बठिंडा, पंजाब ए का पुराना नंबर हिस्सा, पंजाब)

आवेदन के अवलोकन के बाद, Mcb/Z-1/09735 का हिस्सा, #4274-4274-ए, गली मंदिर जय राम दास वाली, गली सिंह सभा गुरु द्वार के पास, एमसीबी/ज़ेड-1/09735 का हिस्सा, #4274-ए का पुराना नंबर हिस्सा, बठिंडा, पंजाब ए का पुराना नंबर हिस्सा, पंजाब में फ्लोर एरिया के साथ 07.47 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + एफएफ के साथ भवन के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल जीएफ=37.63 वर्गमीटर, एफएफ=27.41 वर्गमीटर होगा। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, पंजाब की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

केस नंबर 05

(निरंजन घोष, मरुई बाजार, बिष्णुपुर, बांकुरा, 722122, पश्चिम बंगाल)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट /सर्वेक्षण संख्या 22227 मिलोनश्री सिनेमा हॉल के पास, बिष्णुपुर नगर पालिका, बांकुरा पश्चिम बंगाल में फ्लोर एरिया के साथ 7.45 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + एफएफ के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल जीएफ = एफएफ = 108.5 वर्गमीटर होगा।। एनओसी को

मृदुल कम

सक्षम प्राधिकारी, पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 06

(राजेश पारामानिक, जनता, लेयर, बांकुरा, 722122, पश्चिम बंगाल)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट /सर्वेक्षण संख्या 22334 (एल. आर), 13350 (आर, एस) बिष्णुपुर, बिष्णुपुर नगर पालिका, बांकुरा, पश्चिम बंगाल में फ्लौर एरिया के साथ 7.45 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + एफएफ के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल जीएफ = एफएफ = 77.28 वर्गमीटर होगा। । एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं.07

(श्रीमती भानुबेन नवीनचंद्र मोगा (सलात), 12, सत्यनारायण सोसाइटी, गायत्री मंदिर रोड, खेंगर पार्क, भुज, गुजरात)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्लॉट नंबर 12, सीएसएनओ। 2089, वार्ड -5/2, भुज, कच्छ, गुजरात में फर्श क्षेत्र के साथ 07.70 मीटर (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) की कुल ऊँचाई के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ भवन के अतिरिक्त / परिवर्तन के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल जीएफ = 11.52 वर्गमीटर, एफएफ=54.63 वर्गमीटर होगा। । एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं.08


(कवीता राणा, तिलबाड़ी, बिष्णुपुर, बांकुरा, 722122, पश्चिम बंगाल)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट /सर्वेक्षण संख्या 23263 बिष्णुपुर, बिष्णुपुर नगर पालिका, बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल में फर्श क्षेत्र के साथ 7.45 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ+एफएफ के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल जीएफ = एफएफ = 54.83 वर्गमीटर होगा। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

पुनर्विचारित ऑफलाइन मामले:

मामला सं. 01

(श्री के.एच. प्रकाश, पुत्र श्री. एच. थिप्पे स्वामी, एफ 54/XIII, तीसरी रोड, पार्वती नगर, बेल्लारी-583101-कर्नाटक)



आवेदन के अवलोकन के बाद, इस मामले में S.No.519/2G/2b2, पुराना वार्ड No.25, नया वार्ड No.27, इन्फैट्री रोड छावनी, बेल्लारी -583101 में फर्श क्षेत्र के साथ 7.50 मीटर की कुल ऊंचाई (जमीनी स्तर से ऊपर) + तहखाना(जमीनी स्टार से नीचे) = 1.3 मीटर सहित तहखाने + जीएफ + 1 मंजिल के साथ निषिद्ध क्षेत्र से 102 मीटर से परे भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) तल अनुसार क्षेत्रफल तहखाना= GF=FF=140.27Sqmt होगा। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

केस नंबर 02

(श्री के बस्करन पुत्र स्वर्गीय कन्नैया नायडू , नंबर 19 वेल्लड्यन स्ट्रीट, कोडुरुपुरम चेन्नई- 600085)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्लॉट संख्या 4,5,6,7 और 9 श्री साई नगर, चरण- II, ओडियमबक्कम, क्रमांक में शामिल, 225/2, 224/1A2, और 226/2B, ओडियमबक्कम गांव, तांबरम तालुक, चैंगलपट्टू ज़िले में स्थित भूखंड पर फ्लोर एरिया के साथ 7.50 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) वाले हेडरूम के साथ जी +1 मंजिल वाले भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल जीएफ =69.00 वर्गमीटर, एफएफ = 58.00 वर्गमीटर, हेडरूम=14.00 वर्गमीटर होगा।। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 03

(श्री एस. अर्जुन राव पुत्र श्रीमती लक्ष्मी बाई , संख्या: 856, 866, नागमारथु लेन, कोडिराजपालयम, तंजावुर, तमिलनाडु

आवेदन पर विचार करने के बाद, मामले को खारिज करने का निर्णय लिया गया क्योंकि आवेदक ने पहले ही प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना जी + 1 स्तर तक के भवन का निर्माण किया है और एसए, एएसआई, त्रिची सर्कल द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का अनुपालन नहीं किया है। .

मामला सं. 04

(श्रीमती आर. मियालागी, श्री एसआर सतीश, श्रीमती पीएम शीला, श्री एसआर हरीश, श्रीमती के. सौंदरिया देवी, द्वारा संख्या: 4/132ए, महर्षि नगर, मोहनूर रोड, नामक्कल तालुक और ज़िला -637001)

आवेदन के अवलोकन के बाद, इस मामले में D संख्या 74/120, वार्ड - 26, वार्ड- सी, ब्लॉक -6, TSNo. 131, 132,133, थिल्लईपुरम मेन रोड- ए, नमक्कल नगर पालिका सीमा, नमक्कल तालुक और ज़िला में फ्लौर एरिया के साथ 10.50 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ G +2 मंजिल के भवन के निर्माण के लिए NOC देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल जीएफ = एफएफ = एसएफ = 118.04, होगा और ओपन कार पार्किंग = 125.96 वर्गमीटर की होगी। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मा २०२२ दा

मामला सं. 05

(श्रीमती सौ. गंगा, नंबर 14/21, कृष्णा नगर, चौथी स्ट्रीट , पम्मल, चेन्नई-600075)

आवेदन के अवलोकन के बाद, इस मामले में पुरानी क्रम संख्या 172/3, पट्टा क्र.सं. 172/3A, TSSNo 35/2, वार्ड नंबर C, ब्लॉक नंबर 5, ज़मीन पल्लवरम गाँव, पल्लवरम तालुक, पल्लवपुरम नगर पालिका सीमा, चेंगलपेट ज़िला में फ़्लौर एरिया के साथ ; 14.33 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ हेडरम सहित भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल. स्टिल्ट = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 188.07 वर्गमीटर, हेडरम क्षेत्र = 17.58 वर्गमीटर होगा। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 06

(श्री केजी श्रीनिवासन और श्रीमती गोमती श्रीनिवासन, डी.नं. 14/21, कृष्णा नगर, चौथी स्ट्रीट, पम्मल, चेन्नई-600075)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्लॉट क्रमांक 14 व 15, पुराना क्र.सं. 33/1बी और 33/2बी, नया क्रमांक:33/12, पट्टा संख्या 7951 के अनुसार, बगियाम नगर सेंबक्कम गाँव, तांबरम तालुक, चेंगलपट्टू ज़िला, सेंबक्कम नगर पालिका सीमा में फर्श क्षेत्र के साथ 14.33 मीटर (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) की कुल ऊँचाई के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ इमारत के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल स्टिल्ट = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 209.87 वर्गमीटर, हेडरम = 22.50 वर्गमीटर होगा। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 07

(श्रीमती कैलाशी देवी, श्रीमती अनिल कुमारी एवं श्री सुनील कुमार चौधरी , ग्राम बर्डपुर नंबर 1, टोला-अलीगढ़वा, पोस्ट-पचांगवां, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर-272202)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्लॉट नंबर-1777, ग्राम-बर्डपुर नंबर 1, टोला-अलीगढ़वा, केएसडीए, ठ. नौगढ़, ज़िला। सिद्धार्थनगर में फर्श क्षेत्र के साथ 07.50 मीटर (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) की कुल ऊँचाई के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल GF=FF=188.060 वर्गमीटर होगा। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 07
क्रमांक 2

मामला सं. 08

(श्रीमती शीला, मेलेपुरकक्कल हाउस, चिरामनंगडा पीओ, त्रिशूर-680604, केरल)

आवेदन के अवलोकन के बाद, इस मामले में Sy No. 560/2-1-4, चिरामनंगडा ग्राम कुन्नमकुलम, वार्ड नं. 09 कदनगोडे ग्रामपंचायत में फ्लौर एरिया के साथ; 04.15 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ कम्पाउण्ड वाल सहित भवन निर्माण के लिए एनओसी प्रदान करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया है। क्षेत्रफल ग्राउंड फ्लोर=93.14 वर्गमीटर, कंपाउंड वॉल की लंबाई=22.10 मीटर, कंपाउंड वॉल की ऊँचाई=2.00 मीटर होगी। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए

मामला सं. 09

(श्री वासुदेव शंकरनारायण कुलकर्णी, 322/बी, शुक्रवार पेठ, जिला - सतारा 415110, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में सीएस नं. 322/बी शुक्रवार पेठ, कराड, जिला- सतारा में तल क्षेत्र के साथ एनओसी प्रदान करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया है। तल अनुसार क्षेत्रफल जीएफ=76.55 वर्गमीटर, एफएफ=120.28 वर्गमीटर, एसएफ=112.02 वर्गमीटर, टीएफ=60.78 वर्गमीटर होगा। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए

मामला सं. 10

(श्रीमती रंगम्मा, पत्नी स्वर्गीय शिवन्ना, #418, करोती बीड़ी, वोक्कलगेरी, नंजनगुड, मैसूर जिला-571301- कर्नाटक

आवेदन पर विचार करने के बाद एनआईएस मामले में साइट संख्या-1 पर 403/बी, 381/बी, वक्कलगेरी रोड, नंजनगुड, नंजनगुड तालुक और मैसूर जिला में फर्श क्षेत्र के साथ 7.50 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल GF=FF=26.75 वर्गमीटर होगा। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 11

(श्री बिटुल चंद्र गोगोई, सी/ओ श्री भुगेसर गोगोई, ना-अली, एटी रोड, पीएस जाँयसागर, पीओ और जिला शिवसागर, असम, पिन -785640)

आवेदन पर विचार करने के बाद, नागरमहल मौजा, दाग नं. 7804, पीपी नं. 1851 में फर्श क्षेत्र के साथ 7.50 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक सहित) के साथ प्रथम तल (असम टाइपहाउस का ग्राउंड फ्लोर पहले से मौजूद है) के भवन के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया।

इसमें क्षेत्रफल एफएफ = 155.52 वर्गमीटर होगा।। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, असम की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

अतिरिक्त कार्यसूची

ऑनलाइन मामले:

मामला सं. 01

(एम/एस एक्सप्रेस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड इसके निदेशक श्री अमित गोयल के माध्यम से, प्लॉट नंबर -122ए, ब्लॉक-बी 7 एक्सटेंशन, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली)

आवेदन के अवलोकन के बाद, इस मामले में प्लॉट नंबर -122ए, ब्लॉक-बी7 एक्सटेंशन, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली -110029 में फ्लोर एरिया के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों वाले कुल ऊँचाई 18.00 मीटर (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 187.49 वर्गमीटर, गहराई = 3.50 मीटर होगी। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 02

(श्रीमती सतवंत आनंद, प्लॉट नंबर-बी-14, निजामुद्दीन पूर्वी नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्लॉट नंबर -14, ब्लॉक-बी, निजामुद्दीन पूर्वी नई दिल्ली -110013 में फर्श क्षेत्र के साथ 18.00 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + जीएफ + 2 मंजिलों वाले भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल स्टिल्ट=जीएफ=एफएफ=एसएफ=125.36 वर्गमीटर होगा। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 03

(श्री राम प्रसाद मूर्ति उर्फ श्री आरपी मूर्ति स्वयं के लिए डी-44, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली)

आवेदन के अवलोकन के बाद इस मामले में डी -44, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली में फर्श क्षेत्र के साथ 18.00 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के बेसमेंट+स्टिल्ट+जीएफ+3 मंजिलों वाले भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 187.48 वर्गमीटर, गहराई = 3.51 मीटर होगा। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

— मी. २०२४ ता.

मामला सं. 04

(श्री मुकेश गुप्ता श्री राकेश गुप्ता श्रीमती पुष्पा देवी गुप्ता प्लॉट नंबर-45 गली नंबर-2 सर्वप्रिय विहार नई दिल्ली)

मामले के अवलोकन के बाद पता चला कि प्लॉट नंबर -45, स्ट्रीट -2, सर्वप्रिय विहार, नई दिल्ली -110016 के लिए इस मामले पर पूर्व में दिनांक 29.09.2022 को आयोजित 364 वीं एनओसी बैठक में विचार किया गया था और उसी संपत्ति के लिए एनएमए की संस्तुति के रूप में दिनांक 03.10.2019 को ऑनलाइन आवेदन आईडी-10107097-एस द्वारा अनुमति जारी की गई थी। फर्श क्षेत्र के साथ 18 मीटर की कुल ऊँचाई (सब मिलाकर) के बेसमेंट+स्टिल्ट+जीएफ+3 मंजिलों वाले भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 99.49 वर्गमीटर, बेसमेंट= 99.49 मीटर था और गहराई = 3.20 मीटर थी। अब आवेदक ने बिल्डिंग प्लान में बदलाव के कारण नए सिरे से एनओसी आवेदन मांगा है। आवेदन के अवलोकन के बाद, इस मामले में तल क्षेत्र के साथ 18.00 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट+स्टिल्ट+जीएफ+3 मंजिलों के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया।) तल अनुसार क्षेत्रफल बेसमेंट=स्टिल्ट=जीएफ=एफएफ=एसएफ=टीएफ=99.45 वर्गमीटर, गहराई=3.20 मीटर होगी। सीए, एनसीटी की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। 03.10.2022 को ऑनलाइन आवेदन आईडी- 10107097-एस द्वारा जारी पिछली एनओसी रद्द कर दी गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 05

(श्री अमन शर्मा एवं श्रीमती प्रियंका शर्मा , डी-6, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली)

आवेदन के अवलोकन के बाद इस मामले में,डी-6,निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली में फ्लोर एरिया के साथ 18.00 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट+स्टिल्ट+जीएफ+3 मंजिलों वाले भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 124.24 वर्गमीटर, गहराई = 3.04 मीटर होगी। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 06

(श्रीमती विजय कुमारी, बी-2/132, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली)

आवेदन के अवलोकन के बाद, इस मामले में बी-2/132, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली में फर्श क्षेत्र के साथ ;18.00 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ भवन के पुनर्निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल बेसमेंट=स्टिल्ट=जीएफ=एफएफ=एसएफ=टीएफ=109.58 वर्गमीटर, गहराई=3.27 मीटर होगी। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामले का विवर

मामला सं. 07

(श्रीमती इंदु सूद, प्लॉट नंबर बी-172, ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली)

आवेदन के अवलोकन के बाद, इस मामले में प्लॉट नंबर बी-172 पर, ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली में फ्लौर एरिया के साथ 18.00 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ भवन के पुनर्निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल ;बेसमेंट=स्टिल्ट=जीएफ=एफएफ=एसएफ=टीएफ=186.923 वर्गमीटर, गहराई=2.91मी होगी। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 08

(श्रीमती आआ खन्ना, प्लॉट नंबर 33 कैलाश हिल्स नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्लॉट सं 33 कैलाश हिल्स, नई दिल्ली में फ्लौर एरिया के साथ 18.00 मीटर की कुल ऊँचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल स्टिल्ट=जीएफ=एफएफ=एसएफ=टीएफ=87.48 वर्गमीटर होगा। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. नंबर 09

((1) मैसर्स एचएस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (2) मैसर्स बाबा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और (3) मैसर्स साहनी इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, 51, हनुमान रोड, नई दिल्ली)

आवेदन के अवलोकन के बाद, इस मामले में 51, हनुमान रोड, नई दिल्ली -110001 में फ्लौर एरिया के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों की कुल ऊँचाई 18.00 मीटर (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ भवन के पुनर्निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल बेसमेंट = 532.81 वर्गमीटर; स्टिल्ट = GF = FF = SF = TF = 516.54 Sqmt, गहराई = 4.80 मीटर होगी। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 10

(श्री आनंद शर्मा और श्रीमती कृति शर्मा, डी-5, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली)

आवेदन के अवलोकन के बाद, इस मामले में डी-5, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली -110001 में फ्लौर एरिया के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों की कुल ऊँचाई 18.00 मीटर (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। तल अनुसार क्षेत्रफल बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 126.36 वर्गमीटर, गहराई = 3.04 मीटर होगी। एनओसी

मामला सं. 10
नियमों का पालन करना चाहिए।

को सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 11

(श्रीमती निर्मल बिष्ट, श्री एलपीएस बिष्ट, फ्लैट नंबर - 264, पॉकेट-ए, सेक्टर-डी, तीसरी मंजिल, शालीमार बाग, दिल्ली

आवेदन पर विचार करने के बाद, मामले को खारिज करने का निर्णय लिया गया क्योंकि आवेदक ने अन्य संपत्ति की स्व-घोषणा प्रस्तुत की है।

एजेंडा संख्या 03

प्रस्तुति के मामले:

मामला सं- 01

(नगर परिषद राजसमंद, 3V7G+7H2, केलवाड़ा, राजसमंद, राजस्थान 313333)

आवेदन पर प्रारंभिक रूप से 379वीं एनओसी की बैठक में दिनांक 06 फरवरी 23 को विचार किया गया था, आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया था कि आवेदक को स्व-घोषणा/कानूनी हलफनामा जमा करने और प्राधिकरण को एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति देने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेज दिया जाए। प्रेजेंटेशन को देखने के बाद यह पाया गया कि वर्तमान संरेखण दृष्टिगत रूप से अंतर्वर्धी है और जल निकाय के ऊपर से जा रहा है। प्राधिकरण ने मामले को वापस भेजने का फैसला किया और आवेदक को दस्तावेजी आवश्यकताओं को पूरा करने और जल निकाय (झील) में विघ्न डाले बिना वैकल्पिक संरेखण के साथ वापस आने के लिए कहा।

मामला सं- 02

(पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम), प्लॉट नंबर-339, शांति कुंज योजना, अलवर (राजस्थान) -301001, हरियाणा)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में बिजली टावर (सार्वजनिक) के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया, इस शर्त के साथ कि कोई आरसीसी कार्य नहीं किया जाएगा, निर्माण के लिए पूर्वनिर्मित संरचना का प्रयोग किया जाएगा और एएसआई की निगरानी में कार्य किया जाएगा। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, हरियाणा की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विशेष कार्यसूची

अंशकालिक सदस्यों द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अग्रेषित बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं जहां कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम, 2011 के नियम 10 के अनुपालन में प्रपत्र-II के क्रम 19 में उनकी वस्तुनिष्ठ सिफारिशें शामिल नहीं हैं। इससे प्राधिकरण को सटीक निर्णय लेने में बाधा आती है। प्राधिकरण ने सक्षम प्राधिकारी की ऐसी अस्पष्ट अनुशंसाओं पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्णय लिया कि ऐसे सभी आवेदनों को पूर्व-पुनरीक्षण चरण में सक्षम प्राधिकारी को वापस भेज दिया जाएगा। अब से, अपनी सिफारिशें करते समय सक्षम प्राधिकारी को फॉर्म II के क्रम 19 में अपनी सिफारिशों में या तो "अनुशंसित" या "अनुशंसित नहीं" का उल्लेख करना चाहिए।

